

बजट आवंटन आदेश- 35

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या-51 : Monitoring and Evaluation : Preparation of Status Report on CAMPA works as per FCA proposals division wise में वर्णित संलग्न सूची अनुसार आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डल को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :

2406-04-103-04-01-12
2406- Forest & wildlife
04- Afforestation and Ecology Development
103- State Compensatory Afforestation (SCA)
(04)- Net Present Value of Forest Land
(01)- Compensatory Afforestation
12 - Grant in Aid (Other than Salary)

Amount in lacs

APO Item No. 51 : Monitoring and Evaluation : Preparation of Status Report on CAMPA works as per FCA proposals division wise		
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	Budget Allotment (Fin.)
1	उप वन संरक्षक, जयपुर उत्तर	6.00000
	योग	6.00000

- उक्त राशि का आवंटन उप वन संरक्षक, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर यू.ओ.नोट क्रमांक एफ.14(Gen. file)2018/एफ.सी.ए./प्रमुवसं/2363 दिनांक 06.07.2022 (प्रति संलग्न) के अनुसरण किया गया है। उक्त की प्रगति इस कार्यालय के साथ-साथ उप वन संरक्षक, एफ.सी.ए. राज. जयपुर को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- उप वन संरक्षक, एफ.सी.ए. अनुभाग वर्ष के दौरान कराये गये कार्य की रिपोर्ट संकलित कर कैम्पा अनुभाग को उपलब्ध करायेगे।
- आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines of Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules), के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय का मय अखिल्य समर्पित कर दी जावे।
- आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो
- आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार ही व्यय की जावे तथा इसमें से किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों के आडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 व अधिनियम, 2013 के तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित पद्धति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- संबन्धित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डल से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डल के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता का भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त निर्देशों की पालना की जावे।

Shikha
(शिखा मेहरा)

o/c

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त कार्यों की निगरानी (Monitoring) आपके स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें। तथा वर्ष के अन्त में किये गये कार्य की संकलित रिपोर्ट इस अनुभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 मुख्य वन संरक्षक - जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक- जयपुर उत्तर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त राशि का व्यय अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. के निर्देशानुसार काय सम्पादित करें।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु/रक्षित पत्रावली।

o/c
(अभिषेक शर्मा)
उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।